न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/23 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/118

उनवान

1. उदय सिंह
2. घमण्डी
3. रमेश
4. रामकेश

} पुत्रगण जौहरी जाति मीना निवासी धौधे का पुरा तहसील बाडी, धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. शिवचरन पुत्र लज्जाराम जाति मीना निवासी ग्राम धौधे का पुरा धनौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. चरनदेई पुत्री सुखलाल जाति मीना निवासी धौंधे का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. चरन सिंह पुत्र सुखलाल (फौत)
   - 3/1. मीरा पत्नी चरन सिंह
   - 3/2. रवि
   - 3/3. अरविंद
   - 3/4. अनीता
   - 3/5. सविता

   } पिस0 चरन सिंह } जाति मीना निवासी धौंधे का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. भगवान सिंह
5. रामनाथ
6. रामपति

   } पुत्रगण सुखलाल जाति मीना निवासी धौंधे का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
7. भरोसी पुत्र दामू (फौत)
   - 7/1. सिद्धार
   - 7/2. वचन सिंह
   - 7/3. भूरी सिंह
   - 7/4. सुल्तान
   - 7/5. शांती
   - 7/6. मुलुआ
   - 7/7. मनईया

   } पिस0 भरोसी जाति मीना नि0 धौंधे का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 04.09.2023 प्र0स0 क्रमशः 37/22 उनवान शिवचरन बनाम उदय सिंह।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री रामअवतार गौड उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री अमित बघेला उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.10 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एक वाद बाबत बॅटवारा काश्त व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम धनौरा तहसील बाडी के वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित काश्त करने में पक्षकारो के मध्य आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बॅटवारा किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव करने के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि वादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया एवं अपने दावे की मद संख्या 4 में अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 105 में वादी रैस्पो0 के मकानात बने हुये हैं। अतः खसरा नम्बर 105 पर कब्जे को प्राथमिकता दी जावें। चूंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला। अतः रैस्पो0 की तरह ही अपीलाण्ट को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जे का प्राथमिकता मिलनी चाहिये। परन्तु अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं मिला। अतः वह अपना पक्ष नहीं रख पाये हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। यदि अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। अपील प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जवाव एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने

भू.प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

के कई अवसर दिये गये हैं। परन्तु ना तो उन्होनें साक्ष्य प्रस्तुत की एवं ना ही जवाब प्रस्तुत किया। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय क़ार्यवाही अमल में लायी जाकर, एक पक्षीय रूप से दावा वादी ~~डिक्रीड~~ प्राथमिक डिक्री किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पाये हैं। वादी रैस्पो0 ने अपने वाद की मद संख्या 04 में खसरा नम्बर 105 में अपना मकान एवं चार दीवारी बनी होने के कारण विभाजन प्रस्तावो में कब्जे को प्राथमिकता देने हेतु अंकित किया गया है। दौराने बहस इसी अनुसरण में अपीलाण्ट भी अपने कब्जे की भूमि पर प्राथमिकता देना कथन करते हैं। हमने मनन किया। अपीलाण्ट उक्त तथ्य बाबत् उज्र विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के समय भी कर सकते हैं। परन्तु अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला है। अतः हम न्यायहित में उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाना आवश्यक समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2023 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर